न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री नरेन्द्र कुमार मीना (आर.ए.एस.)
प्रार्थना पत्र संख्या :– 09/2012 पुनः दर्ज 03/2016

उनवान–मुकदमा

हीरालाल पुत्र नाथूराम जाट नि0 ग्राम सेपटपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर (दौराने प्रार्थना पत्र विचरण फौत)
1/1 शिम्भुदयाल पुत्र हीरालाल जाति जाट निवासी ग्राम सेपटपुरा
1/2 सुजीदेवी पुत्री स्व0 हीराला पत्नी महादेव प्रसाद जाति जाट निवासी फतेहगढ बरवाडा
1/3 शान्ति देवी पुत्री स्व0 हीराला ल पत्नी सुण्डाराम जाति जाट निवासी ग्राम जाटावाली

प्रार्थी

बनाम

1. छोटूराम पुत्र नाथूराम जाट नि0 ग्राम सेपटपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा।

अप्रार्थीगण

र्थना पत्र राज0 अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा –251 क की उप धारा (1)संशोधन अधिनियम 2010

निर्णय दिनांकः 7/9/20

उपर्युक्त उनवानी संस्थित प्रकरण के तथ्य संक्षेप में यह है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि वाके ग्राम सेपटपुरा पटवार हल्का धवली तह0 शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है जिसके आराजी खसरा नम्बर 901 रकबा 0.31 है0, 888 रकबा 0.02 है0, 891 रकबा 0.05 है0, 900 रकबा 0.35 है0, 910/1 रकबा 0.44 है0 कुल किता 5 रकबा 1.17 है0 भूमि है। जो सम्पूर्ण ही प्रार्थी के स्वामित्व व कब्जे काश्त की भूमि है। जिसमें प्रार्थी व उसका परिवार काश्त कर अपना जीवनयापन करता है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि के उत्तर की ओर प्रतिवादी सं. 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 899 स्थित है व अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 899 रकबा 0.57 है0 के उत्तरी सीमा के लगवा खसरा नम्बर 920 जो गै0मु0 रास्ता है अप्रार्थी सं. 1 के खसरा नम्बर 899 के लगवा पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहा है, रिकॉर्डेड रास्ता है तथा नक्शे में कटा हुआ है तथा वर्तमान में चालू रास्ता है।

वर्तमान में प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 901, 888, 891, 900 व 910/1 में कृषि कार्य करने हेतू कृषि उपकरण, खादबीज बुवाई जुताई हेतु ट्रेक्टर आने जाने के लिये खसरा नम्बर 920 गै0मु0 रास्ता नक्शे व राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, से कोई रास्ता नहीं है ना ही प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आने जाने व अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग हेतु अन्य कोई भी रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 901, 888, 891, 900 व 910/1 में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 920 गै0मु0 रास्ता से दक्षिणी ओर की भूमि के उत्तरी ओर अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 899 पड़ती है जिसमें से प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 900 में आने जाने हेतु अप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 899 की उत्तर दक्षिण पश्चिमी सीमा के लगवा 3 वर्गमीटर चौडा (पूर्व पश्चिम) व 74 वर्गमीटर लम्बा उत्तर दक्षिण जिसे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न में पीले रंग से दर्शाया गया है, का रास्ता प्रार्थी को उपलब्ध कराकर रास्ता कायम किया जाना आवश्यक है। यदि अप्रार्थी से प्रार्थी को उक्त रास्ता उपलब्ध नहीं करवाया गया तो प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की बाजोत नहीं कर सकता ना हीं अपनी भूमि का उपयोग उपभोग कर सकता है क्योंकि प्रार्थी को अपनी भूमि में आने जाने के लिये कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है।

अप्रार्थी की जो टुकड़ी गै0मु0 रास्ते व प्रार्थी की खातेदारी भूमि के मध्य व प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 900 से लगवा स्थित है जिस कारण प्रार्थी अप्रार्थी को रास्ते की भूमि के बदले अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 900 रकबा 0.35 है0 में से अप्रार्थी के लगवा भूमि नियमानुसार देने को तत्पर है तथा वैकल्पिक तौर पर राजस्व ग्राम सैपटपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर की वर्तमान डी0एल0सी0 दर के अनुसार नियमानुसार राशि भुगतान करने को तत्पर है। वैकल्पिक तौर पर ग्राम सैपटपुरा तहसील शाहपुरा की बाजार व डी0एल0सी0 की दर करीब 4,00,000/– रूपये प्रति बीघा है, को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रार्थी को रास्ते हेतु देय भूमि का प्रतिकर निर्धारण किये जाने के आदेश फरमावें। यह है कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी काश्त की भूमि न्यायालय श्रीमान के क्षैत्राधिकार में स्थित होने से न्यायालय श्रीमान् को सुनवाई कर निस्तारण करने का अधिकार है।अन्त में प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी को धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट के अनुसार अधिकार है कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि मे आने जाने व उपयोग उपभोग के लिये अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 899 में से नियमानुसार रास्ता प्राप्त करे। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क व मियाद अवधि में पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

प्रार्थना पत्र विधिवत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई । अप्रार्थी सं0 1 अनुपस्थित रहने पर विधिवत एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई तथा तहसीलदार शाहपुरा से रिपोर्ट भिजवाने हेतु आदेशित किया गया । अप्रार्थी सं0 1 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया गया जिस पर विधिवत सुनवाई की जाकर अप्रार्थी सं0 1 के विरूद्व पारित एक पक्षीय कार्यवाही को अपास्त किया जाकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने का विधिवत अवसर दिया गया ।

अप्रार्थी सं0 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि जिमन नम्बर 1 प्रार्थना पत्र स्वीकार है। जिमन नम्बर 2 प्रार्थना पत्र में प्रार्थी की खातेदारी ख.नं. 900 की भूमि के उत्तर में मुझ अप्रार्थी की खातेदारी भूमि ख.नं. 899 रकबा 0.57 है0 भूमि होना एवं उसके उत्तर में खसरा नम्बर 920 गै0मु0 रास्ते की भूमि होना स्वीकार है उक्त गै0मु0 रास्ता केवल मुझ अप्रार्थी की भूमि तक ही स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि में ख.नं. 920 गै0मु0 रास्ते से आने जाने हेतु नये रास्ते की कोई आवश्यकता नही है क्योंकि ख.नं. 920 गै0मु0 रास्ते की ओर से प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आने जाने का पूर्व में कोई रास्ता नहीं रहा है प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि के पश्चिम में स्थित रास्ते से ही आकर ख.नं. 914 की भूमि मे से अन्य पड़ौसी काश्तकारों के साथ हमेशा से अपनी भूमि में आता जाता रहा है तथा वर्तमान में भी उक्त रास्ता मौजूद है प्रार्थी का यह कथन कतई ही गलत एवं मिथ्या है कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग हेतु अन्य कोई रास्ता न हो प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिये पश्चिम दिशा की तरफ से वैकल्पिक रास्ता मौजूद है तथा चालू है जिसे प्रार्थी व उसके परिवारजन व अन्य पड़ौसी काश्तकार काम मे लेते आ रहे है। अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में जाहिर किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि के उत्तर दिशा में मुझ अप्रार्थी की खातेदारी ख.नं. 899 रकबा 0.57 है0 भूमि होना स्वीकार है शेष तथ्यों को गलत होना जाहिर कर निवेदन कि प्रार्थी को ख.नं. 900 में आने जाने के लिए नजरी नक्शे में कथित रूप से पीले रंग से दर्शाये गये 3 मीटर चौड़ा व 74 मीटर उत्तर दक्षिण लम्बाई में ख.नं. 899 की भूमि की रास्ते के रूप में कोई आवश्यकता नही है। क्योंकि प्रार्थी के पास अपनी उक्त खातेदारी भूमि में आने जाने के लिये पश्चिम दिशा की ओर से वैकल्पिक रास्ता मौजूद है जिसका उल्लेख जवाब प्रार्थना पत्र में जिमन न. 3 में किया जा चुका है प्रार्थी को सुविधा की दृष्टि से कोई नया रास्ता उपलब्ध नही करवाया जा सकता। प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिये वैकल्पिक रास्ता मौजूद है तो उसके द्वारा मुझ अप्रार्थी को रास्ते की भूमि के बदले ख.नं. 900 मे से ख.नं. 899 से लगती हुई भूमि दिये जाने अथवा डी.एल.सी. रेट से प्रतिकर राशि का भुगतान करवाये जाने का प्रश्न ही नही होता है क्योंकि प्रार्थी के पास पहले से ही अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिए पश्चिम दिशा की ओर से वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। अन्त मे अप्रार्थी ने निवेदन किया कि ग्राम सैपटपुरा की डी0एल0सी0 दर 400000/– रूपये प्रति बीघा नहीं है। अपितु काफी ज्यादा है प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद है इस कारण प्रार्थी को तथाकथित रास्ता दिलवाये जाने व प्रतिकर राशी का निर्धारण करना आवश्यक नहीं होने के साथ प्रार्थना पत्र विहित प्रारूप में नहीं होने से चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा ने पत्र कमांक/भू0अ0/2013/ 4139 दिनांक 8.10.13 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कि गई। जिस पर कोई आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश नहीं होने पर सीधी बहस सुनी गई तथा दिनांक 18.03.2015 को इस आदेश के साथ तहसीलदार शाहपुरा को निर्देशित किया गया की प्रार्थी का अपनी जोत भूमि में आने जाने का प्रचलित रास्ता कौनसा किस साइड से होकर रहा है तथा सुलभ व सुगम रास्ता कौनसा है। तहसीलदार शाहपुरा के द्वारा संबंधित पटवारी हल्का को पाबंद किए जाने पर पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट पेश की गई जिस पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में पटवारी हल्का नयाबास से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 26.02.20 की और ध्यान आकर्षित करवाकर निवेदन किया की प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी भूमि में जाने आने हेतु खसरा नं. 899 व 914 में कोई रास्ता नहीं होना जाहिर किया गया है तथा प्रार्थी खसरा नं. 904 व 901 में से अस्थायी रूप से आता जाता है फसल बुवाई होने पर बंद हो जाता है। खसरा नं. 914 खातेदारी मंदिर माफी की भूमि है तथा वर्तमान में कोई रास्ता नहीं होना स्पष्ट अवगत कराया है। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में जाहिर किया प्रार्थी का खसरा नं. 904 व 904/1 में से आना जाना रहता है तथा खसरा नं. 914 में से भी आता जाता है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जाए।

वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 901, 888, 891, 900 व 910/1 राजस्व रिपोर्ट में दर्ज है तथा प्रार्थीगणों के लिए उक्त भूमि में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। आराजी खसरा नं. 914 जो कि माफी मंदिर की भूमि है तथा अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नं. 899 प्रार्थीगण की भूमि खसरा नं. 900 से लगती हुई है। खसरा नं. 899 के उत्तर में आराजी खसरा नं. 920 मैसमुकीन रास्ता रिकोर्ड में दर्ज है तथा सुगम हेतु आराजी खसरा नं. 900 में पहुंच मार्ग खसरा नं. 899 में सुगम एवं सुलभ प्रतीत होता हैं। पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 26.02.20 में भी खसरा नं. 899 से ही रास्ता के वैकल्पिक प्रस्ताव दिये गए है। प्रार्थीगण की भूमि में अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने तथा

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जिला जयपुर)

प्रार्थी की भूमि से खसरा नं. 899 लगता हुआ होने व अप्रार्थी की भूमि खसरा नं. 899 खसरा नम्बर 920 गैरमुमकिन रास्ता से लगता हुआ होने के कारण प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना उचित समझते है। पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 26.02.20 में खसरा नं 899 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे 3*77 मीटर चौडाई व लम्बाई में रास्ते हेतु प्रस्तावित होना तथा प्रस्तावित रास्ते में सबसे कम भूमि रास्ते के रूप में आना होने से खसरा नम्बर 899 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे प्रस्तावित रास्ता दिया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा –251 (क) (1) अभिधृति संशोधन अधिनियम 2010 न्यायिक दृष्टि से स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 899 रकबा 0.57 है0 वाके ग्राम सेपटपुरा तहसील शाहपुरा की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे ख0नं0 900 की उत्तरी पश्चिमी सीमा तक 74 मीटर लम्बा तथा 3 मीटर चौडाई में कुल 222 वर्गमीटर भूमि को गै0मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है । रास्ते में दर्ज की जाने वाली भूमि का तहसीलदार शाहपुरा वर्तमान प्रचलित डीएलसी दर से भूमि का आंकलन कर रास्ते के रूप में आयी भूमि की दो गुना राशि प्रार्थीगण से जमा कर अप्रार्थी/खातेदार को भुगतान की कार्यवाही करेगे । तहसीलदार शाहपुरा वर्तमान में प्रचलित डी एल सी दर से रास्ते में आई भूमि का आकलन कर दो गुना राशि प्रार्थीगण से वसूल कर नियमानुसार अप्रार्थी को भुगतान किया जाने एवं राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में रास्ते का अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे ।

निर्णय आज दिनांक 7/1/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै इजलास सुनाया गया ।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(सरेन्द्र कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर